न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/449

1. अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री गेंदालाल जाति महाजन उम्र 64 वर्ष, निवासी ग्राम माच्छरखानी, जोबनेर, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान, हाल निवासी मकान नं. 119, कृष्णानगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. प्रकाश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री गेंदालाल जाति महाजन 72 वर्ष, निवासी ग्राम माच्छरखानी, जोबनेर तह. जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान, हाल निवासी मकान नं 15 हनुमान कॉलोनी, करतारपुरा जयपुर, राजस्थान–302006 ।

–अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार भू अभिलेख, फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक हाल तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर, राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (तृतीय), जयपुर जिला जयपुर आदेश दिनांक 15.07.2024 अपील उनवानी अशोक कुमार वगै0 बनाम तहसीलदार फुलेरा।

उपस्थित–

1. श्री योगेन्द्र जैन वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–13.08.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के समक्ष तहसीलदार फुलेरा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 14.07.2004 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर द्वारा अपील अपीलार्थी विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 14.07.2004 खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2024 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2024 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 14.07.2004 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जागीर जोबनेर की मातमी फार्मर जयपुर स्टेट द्वारा दिनांक 02.06.1912 को स्वीकार होने में डिप्टी कलक्टर जागीर जयपुर जागीर जोबनेर को हकदारी का प्रमाण पत्र दिया था और इस प्रकार जोबनेर स्वयं एक स्वतंत्र जागीर थी। जिसके जागीरदार श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री करण सिंह थे, जिनके वारिस ठा. अजीत सिंह जी थे। जिनके नाम नामान्तरकरण संख्या 209 से पुरा खाता संख्या 266 व अन्य दिनांक 05.07.1970 के नामान्तरकरण आया। जिनसे जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1971 को अपीलार्थी ने खसरा नं. 1720/1 में से 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और नामान्तरकरण संख्या 151 के जरिये दिनांक 14.10.1972 को तत्कालीन सरपंच द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। खरीद की दिनांक के पश्चात् से ही अपीलार्थी इस उक्त खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। जागीर जोबनेर के खसरा नं. 3124 रकबा 43 बीघा 18 बिस्वा बंजड प्रथम में से 9 बीघा 5 बिस्वा का एक टुकड़ा संवत 2018 में डेयरी कैटल माफी मैनेजर रावल नरेन्द्र सिंह के नाम अलग हुआ तथा शेष 34 बीघा 13 बिस्वा का टुकड़ा अलग हुआ इस प्रकार पहले टुकडे को 3124/1 तथा दूसरे टुकड़े को 3124/2 रकबा क्रमशः 9 बीघा 5 बिस्वा तथा 34 बिस्वा 13 बिस्वा के रूप में संबंधित गिरदावरियों में इन्द्राज किया गया। उक्त खसरा नं 3124/2 रकबा 34 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा मिलाकर एक नया खसरा 1720 के रूप में रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा हुआ। जो कि खसरा नं. 1720/1 की संवत् 2060, संवत् 2022–2025, 2026–29, 2038–41, 2042–45, 2044–47 2048–51, 2052–55, 2056–59 की जमाबंदियों की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। दिनांक 15.10.1955 संवत् 2012 में खसरा नम्बर 3124 कुल रकबा 43 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 3127 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज था। यहां यह उल्लेख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि संवत् 2012 दिनांक 15.101955 की जमाबंदियॉ तहसील जोबनेर, तहसील फुलेरा मुख्यालय सामर में वर्तमान तक भी उपलब्ध नहीं है।

सम्वत् 2014 में खसरा नं. 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की गिरदावरी में एक नोट गलत रूप से लगा माफी मंदिर ज्वाला वशहर खसरा नं. 2615 जबकि खसरा नम्बर 2615 की खतौनी संवत् 2011 से 2029 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा क्रमश राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह के नाम इन्द्राज पायी गई। जिसमें नाम भोक्ता राय बहादुर रावल नरेन्द्र सिंह जी व नाम उपभोक्ता माफी एग्रीकल्चर कॉलेज का इन्द्राज है।संवत 2019 में खसरा नं. 1720 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा के बाबत् संबंधित गिरदावरी में एक नोट गलत रूप से लगा कि माफी मंदिर ज्वाला बशहर खसरा नं. 1515 जबकि खसरा नं. 1515 का मिलान क्षेत्रफल के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुसार पुराना खसरा नं 1407 रकबा 4 बिस्वा जो कि रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह के नाम संबंधित खतौनी में संवत् 2011 से 2029 तक दर्ज है। खसरा नम्बर 1720 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा में से 13 बीघा 15 बिस्वा (जिसमें पुराना खसरा नं. 3127 की 6 बीघा 5 बिस्वा बारानी प्रथम एवं पुराना खसरा नं 3124/2 की 7 बीघा 10 बिस्वा बजंड प्रथम शामिल है) का नामान्तरण संख्या 102 दिनांक 08.04.1967 के जरिये माफी एग्रीकल्टर कॉलेज, जोबनेर के नाम दर्ज हुआ जो खसरा नम्बर 1720/2 के रूप में दर्ज हुआ। जिससे स्पष्ट है कि पुराना खसरा संख्या 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की गिरदावरी संवत् 2014 में माफी मंदिर ज्वालाजी जोबनेर के नाम गलत रूप से दर्ज हुई थी। उक्त खसरा नं. 1720 कुल रकबा 40 वीघा 18 बिस्वा में से शेष बची भूमि 27 बीघा 3 बिस्वा 1720/1 खसरा के रूप में दर्ज हुई जिसमें से 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलार्थी को बेचान दिनांक 11.01.1972 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रायबहादुर रावल नरेन्द्र सिंह के वारिस ठाकुर अजीत सिंह द्वारा अपीलार्थी को किया गया तथा शेष में से 4 बीघा 15 बिस्वा, 4 बीघा 14 बिस्वा, 4 बीघा 15 बिस्वा, 4 बीघा 14 बिस्वा का बेचान उक्त ठाकुर अजीत सिंह द्वारा स्थानीय अन्य व्यक्तियों को किया गया और इस प्रकार इस 1720/01 कुल रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा के कुल 6 टुकड़े क्रमशः 1720/1/1, 1720/1/1/2 1720/1/3 1720/1/2 1720/1/4, 1720/1/5 क्रमशः 8 बीघा 3 बिस्वा, 0.02 बिस्वा, 4.15 बीघा, 4.14 बीघा. 4.15 बीघा, 4.14 बीघा के रूप में क्रमश नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांकित 14/10 1972. 8 बीघा 3 विस्वा, नामान्तरकरण सख्या 241 रकबा 4 बीघा 15 बिस्या दिनाकित 29.07.1972. नामान्तरण संख्या 242 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा दिनांकित 29.07.1972. नामान्तरकरण संख्या 243 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा दिनांकित 29.07. 1972 नामान्तरकरण संख्या 244, रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा दिनांकित 29.07.1972 के रूप में दर्ज हुआ तथा शेष बची 2 बिस्वा भूमि खसरा नं. 1720/1/1/2 के रूप में स्वयं ठाकुर अजीत सिंह जी के नाम दर्ज हुई और इस प्रकार वर्ष 1972 से लगातार कब्जे काश्त इस कुल 27 बीघा 3 बिस्वा में अपीलार्थी सहित संबंधित अन्य व्यक्ति रहे तथा खसरा नम्बर 1720/2 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा (पुराना ख.नं. 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा बारानी प्रथम एवं पुराना ख.नं. 3124/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा बंजड प्रथम) के चारो ओर अन्य संबंधित भूमियों को मिलाकर माफी एग्रीकल्वर कॉलेज जोबनेर ने स्थायी बाउण्ड्रीवाल बना ली है जो कि वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के रूप में जानी जाती है। संबधित नामान्तरण, जमाबदियो की फोटोप्रतियां क्रमशः प्रदर्श–18–22 इस अपील के साथ संलग्न है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 1720/2 रकबा 13 बीघा 15 विस्वा ग्राम जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर में है, खसरा नंबर 1720/1/1 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा ग्राम माछरखानी तहसील जोबनेर में खसरा नंबर 1720 के रूप में जाना जाता है, खसरा नंबर 1720/1/1/2 रकबा 2 बिस्वा ग्राम माछरखानी में खसरा नंबर 1748/1720 के रूप में खसरा नंबर 1720/1/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ग्राम माछरखानी के पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर के खसरा नंबर 1749/1720 के रूप में जाना जाता है। खसरा नंबर 1720/1/3, रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा ग्राम माछरखानी के खसरा नंबर 1750/1720, खसरा नंबर 1720/1/4 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ग्राम माछरखानी के पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर के खसरा नंबर 1751/1720 के रूप में तथा खसरा नंबर 1720/1/5 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा ग्राम माछरखानी के पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर के खसरा नंबर

1752/1720 के रूप में जाना जाता है। दिनांक 17.05.1983 को अपीलार्थीगण व उनके एक अन्य भ्राता श्री कैलाश चन्द अग्रवाल के मध्य एक पारिवारिक समझौता पत्र हुआ जिसके तहत उक्त खसरा नम्बर 1720/1/1 की कृषि आराजी 8 बीघा 3 बिस्वा को शामलाती मानी गई एवं दिनांक 15.06.2002 को विक्रय इकरारनामा तथा दिनाक 20.10.2003 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा अपीलार्थी गण के अग्रज श्री. कैलाश चन्द अग्रवाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि रकबा 2 बीघा 13 विस्वा को उक्त खसरा नम्बर 1720/1/1 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा में से जरिये मंत्री श्री कृष्ण गोशाला समिति को दान में दिलवा दी थी। दिनांक 14.07.2004 को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नामान्तरण संख्या 445 के जरिये सामूहिक रूप से खसरा नम्बर 1720/1/1/2 रकबा 2 बिस्वा, 1720/1/1 रकबा 8 बीघा 3 विस्वा, 1720/1/3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 1720/1/5. रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 1720/1/4 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 1720/1/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का शामलाती रूप से माफी मंदिर श्री माताजी ज्वाला के नाम राज्य सरकार के आदेश 13.12.1991 के पालनार्थ, जयपुर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 30.03.2003 तथा देवस्थान के आदेश दिनांक 06.03.2003 के पालनार्थ एवं संबंधित पटवार हल्का द्वारा मुताबिक आदेशानुसार मीटिंगो में दिये गये आदेशानुसार माफी मंदिर के नाम नामान्तरण भरकर इन्द्राज वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ के पश्चात दिनांक 14.07.2004 को ही संबंधित तहसीलदार (भू.अ.) फुलेरा मुख्यालय साभर लेक द्वारा अचानक ही बिना अपीलार्थी की जानकारी के, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राज्य सरकार भू प्रबंध विभाग के आदेश दिनांक 13.12.1991 क्रमांकित प.2(4) राज/4/90/37 जयपुर जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 5/2003 दिनांक 20.03.2003 एवं देवस्थान के आदेश क्रमाक प2(22) दे/91 मदन 06.03.2003 की पालनार्थ अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना किसी रेफरेन्स की कार्यवाही व आदेश के बिना सीधे ही रेवन्यु रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम का विलोपन करके माफी मंदिर श्री माताजी ज्याला जी का नाम इन्द्राज किया जो कि विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। जिसका जवाब प्रत्यर्थी तहसीलदार द्वारा दिया जिसमें मुख्यतः मद संख्या 3 में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 15.10.1955 से पूर्व की भूमियों पर रेफरेन्स तैयार नहीं किये जाने का इन्द्राज है जो कि प्रत्यर्थी तहसीलदार की भी दूषित विधिक मानसिकता का द्योतक है।

अदालत मातहत ने आलोच्य अपीलाधीन आदेश में मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 5 के बाबत् जहां ग्रह अंकित किया है कि 17 वर्ष की दीर्घावधि पश्चात् वर्ष 2022 में अदालत मातहत के समक्ष प्रश्नांकित अपील प्रस्तुत की है जो कि अदालत मातहत की यह फाईन्डिंग विधि विरूद्ध है क्योंकि जहां नामान्तरण की अपील के लिए किसी तरह की कोई समयावधि विधि में निहित नहीं होने के कारण अदालत मातहत की यह फाईन्डिंग स्वतः ही प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है साथ ही स्वयं अदालत मातहत ने अपने आलोच्य अपीलाधीन आदेश में जहां यह फाईन्डिंग दी है कि अपीलार्थीयों को व प्रत्यर्थी तहसीलदार को दौराने अपील सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला है तो ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अदालत मातहत की, की गई उपरोक्त फाईन्डिग विधि विरूद्ध व तथ्य विरूद्ध है इस कारण अदालत मातहत का आलोच्य आदेश काबिले खारिज है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अदालत मातहत ने अपनी फाईन्डिंग में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित भूमि एकीकरण जमाबंदी ग्राम जोबनेर तहसील साभर जिला जयपुर संवत 2019 के क्रम संख्या 655 खाता नम्बर 658 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में माफी मंदिर माताजी ज्वालाजी महंत श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी कर्ण सिंह जी जाति राजपूत सा. विराजमान देह तथा कोलम संख्या 6 नाम कृषक में खुदकाश्त रावल नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्ण सिंह जाति राजपूत सा. देह अंकित है तथा कॉलम से 06 में खसरा नं. 1720 व कॉलम संख्या 7 में क्षेत्रफल 40 या 18 बिस्वा अंकित है। उपर्युक्त अंकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1720 संवत 2019 से माफी मंदिर श्री माताजी ज्वाला जी नाम दर्ज था व महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र कर्ण सिंह जी जाति राजपूत का नाम दर्ज था। इस खसरा नम्बर 1720 के लिए काश्तकार के कॉलम 5 में खुदकाश्त रावल नरेन्द्रसिंह पुत्र कर्ण सिंह जाति राजपूत दर्ज था. जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1720 माफी मंदिर श्री माताजी ज्वालाजी के महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह द्वारा खुदकाश्त था।

प्रथमतया प्रश्नांकित नामान्तरकरण परिपत्र दिनांकित 13.12.1991 प्रदर्श–03 के द्वारा ही प्रत्यर्थी तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलार्थी के नामान्तकरण से मंदिर माफी माताजी ज्याला जोबनेर के नाम नामान्तरण खोला इस परिपत्र में भी केवल और केवल संवत् 2012 में अंकनानुसार मंदिर माफी की जमीन के अनुसार ही संबंधित काश्तकार से पुनः नामान्तकरण मंदिर माफी के नाम खोलने का उल्लेख था ना कि संवत 2019 के अनुसार। वहीं द्वितीयतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस प्रदर्श 37 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार वास्तविक तथ्यात्मक तथ्य संवत् 2014 की गिरदावरी में खसरा संख्या 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का उल्लेख माताजी ज्यालाजी का अंकन मुकानं 2615 का हवाला देकर होना बताया गया है वहीं खसरा नं. 2615 की खतौनी भी रायबहादल रावल नरेन्द्र सिंह के नाम इन्द्राज पाई गई जिसमें नाम भोक्ता राय बहादुर रावल नरेन्द्रसिंह जी व नाम उपभोक्ता माफी एग्रीकल्चर कॉलेज का इन्द्राज है ना कि माफी मंदिर ज्वालाजी माता जोबनेर। जो कि नामान्तकरण प्रदर्श–16, 17 से भी स्पष्ट है जिसमें पुराना खसरा नं. 3127 की भूमि रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा बारानी प्रथम व पुराना खसरा नं. 3124/2 की भूमि रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा बंजड़ प्रथम शामिल है। इस पर भी अदालत मातहत ने आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित करते समय कतई गौर नहीं किया।राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नभरण अधिनियम 1952 के अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होने की दिनांक 08.02.1952 को यदि भूमि खुद काश्त के रूप में माफी मंदिर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है तो वह इस अधिनियम की धारा 9 के तहत उस अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी के रूप में मानी जायेगी। यदि माफी मंदिर की भूमि इस अधिनियम के प्रभाव के समय विद्यमान है तो खुद काश्त के रूप में भी माफी मंदिर का ही नाम लिखित होना चाहिए। यद्यपि हिन्दू मूर्ति एक नाबालिग शाश्वत के रूप में मानी जाती है और वह स्वयं खेती नहीं कर सकती परंतु उसकी सेवा पूजा करने वाला सेवक या पुजारी यह कार्य भलीभांति कर सकता है तो भी खुदकाश्त के रूप में संबंधित मूर्ति मंदिर का उल्लेख वक्त राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनरारभ अधिनियम 1952 के प्रभावी दिनांक 08.02.1952 को होना चाहिए। जिसका कि तथ्यात्मक अभाव आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अदालत मातहत के समक्ष रहा क्योंकि एक तरफ तो खुदकाश्त के रूप में सवत् 2019 वर्ष 1963 में भी संबंधित भूमि खुद काश्त के रूप में श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र श्री कर्ण सिंह जी जाति राजपूत दर्ज था. जिससे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के

माननीय आयुक्त
जयपुर

उक्त निर्णय के अनुसार प्रश्नांकित जमीन कभी भी मंदिर माफी की नहीं रही। इस पर भी अदालत मातहत नै आलोच्य आदेश पारित करते समय कतई गौर नहीं किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरुस्त करने की श्रेणी में आते है और ऐसे मामले प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत् दायर करवाकर रिकोर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख इस परिपत्र में है जो कि हस्तगत प्रकरण में हुबहु लागू है। क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा किसी तरह का कोई रेफरेन्स माननीय राजस्व बोर्ड को प्रेषित नहीं किया है और ना ही रेफरेन्स के तहत अपीलार्थियों को प्रश्नांकित भूमि का नामान्तरण परिवर्तित किया है और प्रश्नांकित नामान्तकरण परिवर्तन का आदेश दिनाकित 14.07.2004 विधिक रेफरेन्स का आदेश ना होकर मनमानेपूर्ण त्रुटि का आदेश था जो कि राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्र दिनांकित 25.11.2011 की परिधि में बखूबी आता है। इस पर भी अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय किसी तरह का कोई गौर नहीं किया। जो कि उनकी दूषित विधिक मानसिकता का द्योतक होने के कारण आलोच्य अपीलाधीन आदेश काबिले खारिज है।अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की द्वितीय अपील को मंजूर कर अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 15.07.2024 को निरस्त करते हुये नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 14.07.2004 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नंबर 1720 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा एकीकरण संवत् 2019 के खाता सख्या 658 के कॉलम संख्या 3 में माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र श्री कर्ण सिंह जी जाति राजपूत सा. विराजमान देह है व कॉलम नंबर 5 में खुदकाश्त रावल नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कर्ण सिंह जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज है। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12. 1991 के बिन्दु संख्या 4 के उप बिन्दु 3 पर पुजारी का नाम विलोपित करने व रजिस्ट्रर में इन्द्राज व रिकॉर्ड में स्पष्ट अंकित करने के निर्देश हैं। 2019 में एकीकरण के पश्चात खाता संख्या 658 पर कॉलम संख्या 3 पर माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह सा विराजमान देह एवं कॉलम सख्या 5 पर खुदकाश्त रावल नरेन्द्र सिंह सा. देह खसरा नंबर 1720 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा रिकॉर्ड दर्ज है जबकि गिरदावरी संवत् 2011 से 2014 सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के विशेष विवरण के कॉलम पर माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वाला जी की टिप्पणी का इन्द्राज है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में प्रदत्त आदेशानुसार दर्ज किया गया है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर जिला जयपुर के समक्ष तहसीलदार फुलेरा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 445 दिनांक 14.07.2004 को गलत बताते हुये लगभग 17 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0

जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2024 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कितहसीलदार जोबनेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्षप्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार सेटलमेन्ट खतौनी के खाता संख्या 301 खसरा नंबर 3124 रकबा 43 बीघा 18 बिस्वा खसरा नंबर 3127 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी राय बहादुर रावल सा ठाकुर नरेन्द्र सिंह जी वल्द कर्ण सिंह जागीरदार पटी नंबर 13 कॉलम संख्या 5 खुदकाश्त राय बहादुर रावल साहब नरेन्द्र सिंह जी वल्द कर्ण सिंह जी कौम राजपूत सा देह के नाम एवं संवत् 2019 भूमि एकीकरण खतौनी खाता संख्या 658 पर सेटलमेन्ट खतौनी के खत्तरा नंबर 3124 व 3127 से नया खसरा नंबर 1720 बनाया गया है जिसके कॉलम संख्या 3 पर माफी मन्दिर श्री माताजी ज्वालाजी महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र कर्ण सिंह जी सा. विराजमान देह व कॉलम नंबर 5 में खुदकाशत रावल नरेन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह जाति राजपूत के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ एवं खसरा गिरदावरी 2011 से 2014 के खसरा नंबर 3127 के विशेष कॉलम पर माफी मन्दिर श्री माताजी ज्यालाजी मु.का.नं. 2615 का नोट अंकित है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि सन 13.12.1971 में क्रय किया हुआ है जबकि एकीकरण 1963 में ही हो चुका है। संवत् 2019 के क्रम संख्या 655 खाता संख्या 658 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में माफी मंदिर माताजी ज्वालाजी जी मंहत श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी कर्ण सिंह जी जाति राजपूत सा. विराजमान देह तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में खुदकाश्त रावल नरेन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह जाति राजपूत सा. विराजमान देह अंकित है तथा कॉलम से 06 में खसरा नं. 1720 व कॉलम संख्या 7 में क्षेत्रफल 40 बीघा 18 बीस्वा अंकित है। उपर्युक्त अंकन से खसरा नं. 1720 संवत 2019 से माफी मंदिर माताजी ज्वालाजी नाम दर्ज था व महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह जी पुत्र कर्ण सिंह जी जाति राजपूत का नाम दर्ज था। खसरा नं. 1720 माफी मंदिर श्री माताजी ज्वालाजी के महन्त श्री रावल नरेन्द्र सिंह द्वारा खुदकाश्त था।

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के पैरा संख्या 2 के अनुसार "जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। मंदिर मूर्ति निरन्तर अवश्यक है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारीख सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।"

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपर्युक्त सभी तथ्यों की विवेचना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2024 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।